राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–मु.अ./2013-14/ 934 दिनांक :– 12-7-2013

कार्यालय आदेश

विषय :– Extra Items/ Additional Quantities को सम्पादित करवाये जाने एवं भुगतान किये जाने के संबंध में।

मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पत्र दिनांक 231 दिनांक 25.04.2013 द्वारा जारी विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य के सम्पादन हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्त आदेश की पालना में मण्डल की विभिन्न योजनाओं में सम्पादित किये जा रहे निर्माण कार्यो एवं भविष्य में सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों में उक्त विशिष्टियों अनुसार निर्माण कार्य करवाया जाना है। इन विशिष्टियों के अनुसार निर्माण कार्य करवाये जाने पर Extra Items एवं Additional Quantities का सम्पादन होगा।

चूँकि मण्डल द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में अनेक कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें अफोर्डेबल आवास सहित अन्य आवास भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त संदर्भित आदेश के अनुसार विशिष्टियों के अनुरूप कार्य सम्पादित करवाये जाने की स्थिति में अलग–अलग अनुबंध अनुसार Extra Items एवं Additional Quantities का सम्पादन होगा। जिसके कारण अनुबंधवार Extra Items एवं Additional Quantities के सम्पादन की स्वीकृति प्रक्रिया में लगने वाला समय को मध्यनजर रखते हुए एवं संबंधित निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण किये जाने के मध्यनजर रखते हुए Extra Items एवं Additional Quantities का सम्पादन एवं भुगतान किये जाने हेतु संबंधित आवासीय अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है, जिसकी सक्षम स्वीकृति अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व प्राप्त करनी होगी।

उक्त का माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. अति. मुख्य अभियन्ता-I/II/III/अवसायित आवास विकास संस्थान, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर
4. उप आवासन आयुक्त, ... राजस्थान आवासन मण्डल..........................
5. आवासीय अभियन्ता, ... राजस्थान आवासन मण्डल..........................
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता